

## **सीमाशुल्क सर्कुलर**

-प्रतिलिपि-

**सर्कुलर संख्या 35/2009-सीमाशुल्क**

**दिनांक 29 दिसम्बर 2009**

के लिए,

सीबीईसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पीएस

सीमाशुल्क/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सभी मुख्य कमिशनर,

सीमाशुल्क के सभी कमिशनर,

सीबीईसी के अंतर्गत सभी निर्देशक जनरल,

मुख्य विभागीय प्रतिनिधि(सीडीआर), दिल्ली,

सीमाशुल्क/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सभी कमिशनर

### **किम्बर्ली प्रोसेस प्रमाणन योजना(केपीसीएस) से सेमी-कट डायमंड्स पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र**

खुरदुरे डायमंड्स के प्रमाण के लिए किम्बर्ली प्रोसेस प्रमाणन योजना(केपीसीएस) लागू करने की प्रक्रिया के लिए एफ. संख्या.314/33/2002-एफटीटी के अंतर्गत 23 जून 2003 को निकाले गये सर्कुलर संख्या. 53/2003- की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. 'किम्बर्ली प्रोसेस प्रमाणन योजना सचिवालय, नमीबिया' ने 30 नवंबर 2009 को जारी प्रेस प्रतिलिपि संलग्न में स्पष्ट किया है कि "एक या थोड़े छोटे हिस्सों को पॉलिश करने से खुरदुरे डायमंड्स को पॉलिशड डायमंड्स में नहीं बदला जा सकता और इन्हें केपीसीएस के राडार से बाहर नहीं रखा जा सकता और उन सेमी-कट डायमंड्स एवं उनके आयात और निर्यात केपीसीएस की ज़रूरतों के हिसाब से होगा।"

3. इसलिए, सेमी-कट डायमंड का केपीसीएस प्रमाण की ज़रूरतों के हिसाब से उत्पाद करना चाहिये।

4. व्यापार/सावर्जनिक नोटिस की तरह इन निर्देशों का व्यापक प्रचार करना चाहिए। निर्देशों के लागू करने में कोई मुसीबत होने की स्थिति में इसे निर्यात प्रचार के महासचिवालय, नई दिल्ली के सम्पर्क में लायें।

5. सर्कुलर मिल जाने पर कृपया प्राप्ति सूचना अवश्य दें।

ऐसडी/-(प्रवीण महाजन)

मुख्य निदेशक (इपी)

विंडहोएक 30 नवंबर 2009

मीडिया में हाल ही में चल रही रिपोर्ट के मुताबिक खुरदुरे डायमंड के एक हिस्से को काट कर और पॉलिश कर के किम्बर्ली प्रोसेस प्रमाणन योजना(केपीसीएस) को धोखा दिया जा सकता है, के जवाब में किम्बर्ली प्रोसेस ये बता देना चाहता है कि ये सब काफी हद तक गलत है।

**यह गलत है कि सेमी-कट डायमंड केपीसीएस के दायरे से बाहर है।**

निश्चित ही उपर्युक्त रिपोर्ट 2004 तक जारी स्थिती की ओर इशारा करते हैं। हालांकि, उस दिन के बाद से, संभावित खामियों को ठीक करने के लिए (जैसा की रिपोर्ट में दर्शाया गया है), किम्बर्ली प्रोसेस की सलाह पर खुरदुरे डायमंड की परिभाषा को विश्व सीमाशुल्क संघटन (डब्लूसीओ) ने बदल दिया है। सेमी-कट डायमंड हार्मोनाइज़्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम (एचएस-सिस्टम) के टैरिफ प्रबंध में गिना जाता है जो केपीसीएस की खुरदुरे डायमंड की परिभाषा के दायरे में आते हैं और, परिणामस्वरूप, सेमी-कट डायमंड्स केपीसीएस की ज़रूरतों के हिसाब से काम आयेंगे।

**मीडिया में रिपोर्ट के अनुसार एक या थोड़े छोटे हिस्सों को पॉलिश करने से खुरदुरे डायमंड्स को पॉलिशड डायमंड्स में नहीं बदला जा सकता और इन्हें केपीसीएस के रडार से बाहर नहीं रखा जा सकता। बल्कि सेमी-कट डायमंड्स अब खुरदुरे डैमंड्स के रूप में माने जाते हैं और इनका आयात या निर्यात केपीसीएस की ज़रूरतों के हिसाब से होगा।**

अनिश्चितता की स्थिति में, खुरदुरे डायमंड में क्या होना चाहिए इसके बारे में एचएस-कोडिंग सिस्टम के विवरण नोट्स की जानकारी को पढ़ें जो डब्लूसीओ या स्थानीय सीमाशुल्क एजेंसी, स्थानीय किम्बर्ली प्रोसेस प्राधिकरण या डायमंड्स विशेषज्ञों के केपी वॉर्किंग दल के पास उपलब्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

केपीसीएस सचिवालय - नमीबिया:

*खनन एवं उर्जा मंत्रालय/ निजी बैग 13297 संख्या 1 एविएशन रोड, विंडहोएक, नमीबिया*

बैकग्राउंड

किम्बर्ली प्रोसेस की शुरुवात मई 2000 में तब हुई थी जब दक्षिण अफ्रीकी डायमंड-उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका के किम्बर्ली शहर में मिले 'कनफ्लिक्ट डायमंड' के व्यपार को रोकने एवं ये सुनिश्चित करने कि डायमंड की खरीददारी का पैसा हिंसा के लिए तो नहीं हो रहा।

दिसम्बर 2000 में संयुक्त राष्ट्र की महा सभा ने खुरदुरे डायमंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन योजना की शुरुवात के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव स्वीकार किया। नवंबर 2002 आने तक, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय डायमंड उद्योग एवं नागरिक समिति संगठन के बीच की बातचीत से किम्बर्ली प्रोसेस प्रमाणन योजना (केपीसीएस) की शुरुवात हुई। केपीसीएस दस्तावेज खुरदुरे डायमंड के उत्पाद एवं व्यापार के नियंत्रण की ज़रूरतों के बारे में बताते हैं। केपीसीएस 2003 से लागू हुआ जब सभी प्रतिभागी राष्ट्रों ने इसे लागू किया।

किम्बर्ली प्रोसेस प्रमाणन योजना में अब 49 प्रतिभागी हैं (जो यूरोपीय समुदाय के 75 देशों के बराबर हो गया) सभी मुख्य डायमंड उत्पादक, व्यापारिक एवं पोलिशिंग केंद्र सहित और नागरिक समिति एवं उद्योग दलों की सक्रीय प्रतिभागिता से चलता है।

किम्बर्ली प्रोसेस प्रमाणन योजना (केपीसीएस) अपने सदस्यों पर खुरदुरे डायमंड को 'संघर्ष रहित' प्रमाणित कराने एवं कनफ्लिक्ट डायमंड का वैध व्यापार करने से बचाने के लिए कई ज़रूरतों का इस्तेमाल करता है। केपीसीएस के नियमों के अनुसार सभी प्रतिभागी देशों को 'न्यूनतम ज़रूरतों' को पूरा करना चाहिए एवं राष्ट्रीय, विधान और संस्था: निर्यात, आयात एवं आंतरिक नियंत्रण का गठन करना चाहिए: और स्टैटिस्टिकल डाटा के आदान-प्रदान एवं पारदर्शिता के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। प्रतिभागी वैध तरीके से सिर्फ उन्ही प्रतिभागियों के साथ व्यापार कर सकते हैं जो योजना की न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करें, और खुरदुरे डायमंड के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट के साथ केपी प्रमाण पत्र होना चाहिए जो उनके संघर्ष-रहित होने की गारंटी दें।

केपी प्रतिभागी देश और उद्योग और नागरिक समिति साल में 2 बार अधिवेशन एवं पूर्ण सभा के लिए मिलते हैं और साथ ही साथ कार्य दल एवं समिति के तौर पर नियमित समय पर मिलते हैं। 'रिव्यू विजिट' एवं सालाना रिपोर्ट से कार्यान्वयन पर नज़र रखी जाती है साथ ही साथ स्टैटिस्टिकल डाटा के नियमीय आदान-प्रदान एवं विश्लेषण से भी।